प्रेषक,

मेल

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– जी–R-606 / 05–202 / 2025,

दिनांक 29/12/2025

विषय– उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने एवं समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत है कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने / हटाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 में प्राविधान विहित होने के साथ ही उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–66 एवं 67 में विस्तृत प्रकिया निर्धारित की गई है। यथा–

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–67 की उपधारा (1) में ग्राम पंचायत के प्रबन्धाधीन भूमि / सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग होने की स्थिति में भूमि प्रबन्धक समिति या सम्बन्धित लेखपाल के द्वारा विहित रीति से सम्बन्धित सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) को सूचित किये जाने का प्राविधान विहित है। उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 66 के अनुसार–धारा 67(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा सचिव अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–19 में सहायक कलेक्टर को दी जायेगी।

उ0प्र0 भू लेख विनियमावली के पैरा–24 ''(भूलेख निरीक्षक को दिये जाने वाले प्रतिवेदन)'' के उप पैरा–8 के अन्तर्गत लेखपाल का कर्तव्य है कि ग्राम सभा में निहित सम्पत्ति में अतिक्रमण के सभी मामलों की सूचना / प्रतिवेदन भूलेख निरीक्षक को देगा।

अग्रेत्तर उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 67 में वह प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुक्रम में नियम 66 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर अन्यथा जानकारी में आने पर ''सहायक कलेक्टर (तहसीलदार)'' द्वारा ग्राम पंचायत के प्रबन्धाधीन भूमि से अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में पर 90 दिनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में परिषदादेश सं0–1082 / जी–5 01अति0 / 2017, दिनांक 08.05.2017 द्वारा भी पूर्व में यह निर्देश दिये गये है कि–भूमि प्रबन्धक समिति के सचिव के रुप में सम्बन्धित हल्के लेखपाल का प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि / परिसम्पत्ति पर होने वाले अतिक्रमण को रोके व इस प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर उसकी सूचना विधिक प्रकिया को पालन करते हुये अपने उच्चाधिकारियों को दें। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हाने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0सी0सी0एम0एस0) में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत वाद दर्ज करते हुये सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता को आर0सी0 प्रपत्र संख्या–20 के अनुसार नोटिस जारी किया जायेगा।

उक्त परिषदादेश द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि भू–माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सघन अभियान चलाया जाये एवं इस अभियान में सभी

उपजिलाधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/लेखपालों के साथ–साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग प्राप्त कर सभी प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण /अवैध कब्जा हटाया जाये।

3. उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0–402/एक–2– 2017–1(सामान्य/2017), दिनांक 01 मई 2017 द्वारा प्रदेश में चार स्तरीय–राज्य, मण्डल, जनपद एवं तहसील स्तरीय एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुये शासकीय एवं निजी भूमि पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में प्रत्येक टास्क फोर्स का विस्तृत दायित्व निर्धारित किया गया है।

4. उपर्युक्त विहित प्राविधानों एवं शासनादेश/परिषदादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में शासन एवं परिषद द्वारा ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने/हटाने के सम्बन्ध में लगातार दिशा–निर्देश दिये गये है। किन्तु इस सम्बन्ध में शासन एवं परिषद में प्राप्त हो रही शिकायतों/प्रार्थना–पत्रों तथा मा0 न्यायालयों में योजित किये जा रहे वादों से यह परिलक्षित होता है कि यथोचित कार्यवाही नही की गयी है।

5. अवगत कराना है कि समविषयक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका 2933/2025, मुन्नीलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 में निम्नवत विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है–

> "Therefore, the District Magistrate of all districts and Sub-Divisional Magistrate of all Tehsils of State of Uttar Pradesh are directed to take action, initiating departmental proceedings treating as misconduct under Rule 195 of the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 read with Section 233 Rule (ix) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 and criminal procedings for criminal breach of trust under Section 316 of Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 with abatement and consipiracy against the area Lekhpal being Secretary of the Bhumi Prabandhak Samiti, custodian of the Gram Panchayat property, if he is not giving information under Rule 66 of the Rules 2016 in respect of any encroachment on the land by revenue R.C. Form No. 19 to the concerned Tehsildar or Tehsildar (Judicial) within 60 days from the date of this order.
>
> This Court also directs that if a Tahsildar or Tahsildar (Judicial) does not decide the encroachment proceedings provided under section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 read with Rule 67(6) within ninety days from the date of show cause notice and no sufficient reasons recorded for delay, treating it misconduct under rule 195 of Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 read with section 233 Rule (xvii) of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 for initiating departmental proceedings under Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 against him for punishment.
>
> The above exercises i.e. removal of encroachment and taking action against the erring officers should be carried out within Ninety days, after providing opportunity of hearing to all the concerned persons including who have also encroached the public land entrusted to the Bhumi Prabandhak Samiti of the Gram Panchayat or any other authority. The entire process shall be done as per RC Form Nos.19, 20, 21 provided under the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 for removal of encroachment. The public utility land shall be restored on its original nature so that it may be used for the purpose as it is created for in the revenue record.

The concerned respondent authorities shall communicate the action taken by them to the informant and the informant shall be provided opportunity of hearing at every stage of the proceedings. If any encroachment is still on State land/public utility land in the State of Uttar Pradesh and information is yet not given by Chairman i.e. Pradhan and Secretary i.e. Lekhpal to Tehsildar under Rule 66 of Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 to initiate proceedings under Section 67 of Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 or Inspector or any other official of the department/authority to the competent authority for removal of encroachment, civil contempt proceedings may be initiated by any person, in the High Court for non compliance of this order of the High Court.

This Court is also directing that if any land belonging to the State Government or any Local bodies/authorities, is illegally occupied or encroached by any person, the Inspector of the concerned department/authority or any other official is duty bound to inform the concerned authority of the department about the encroachment, to initiate proceedings for removal of the encroachment and also restore the property in original form. In case, the concerned inspector/official does not inform about any kind of encroachment on the said land and information comes otherwise, departmental proceedings for misconduct and criminal proceeding of criminal breach of trust treating also as abettor as well as conspirator, shall be initiated against him a s well as other erring official as he/they are the custodian of the properties entrusted to them as government authorities.

This Court further directs that if any land, recorded in the revenue record of a tahsil or record of a local body, in the name of authority or for public use; if the land is encroached by any person, the encroachment shall be removed by the tahsildar or any other authority of the local bodies within the time frame as prescribed under the law. Furthermore, if any land of any authority is encroached by any person and its information comes in the knowledge of the higher authority otherwise, rather than by the concerned Inspector or other official under obligation to inform and if the higher authority is not taking action against the Inspector or other official, the role of higher authority may be assumed as abettor or conspirator in respect of the encroached property as the officers of the authority are custodian of the property.

The Commissioners, the District Magistrates, the Chairmen/ Secretaries /In-charge officers of the concerned departments of the State of Uttar Pradesh are further directed to intimate the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries of the concerned departments of Government of Uttar Pradesh about the action taken by them regarding the removal of encroachment as well as action taken against the erring officials every year."

6. अतः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका 2933/2025, मुन्नीलाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67 में विहित प्राविधान तथा इस सम्बन्ध में शासन व परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने/हटाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही कराकर उसके मूल रूप में बहाल करायें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक

अति
वि'

कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या से प्रत्येक वर्ष शासन एवं परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ।

2– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त परिषदादेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– गार्ड फाईल।

29.12.25

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।